कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 25/06/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 25.06.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा ।"

दिनांक 25.06.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना खानपुर जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु०अ०स० -653/2017 धारा 363,366 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त ओम प्रकाश उर्फ प्रकाश बिन्द पुत्र राधेश्याम बिन्द निवासी ग्राम खानपुर उसरहाँ थाना खानपुर जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का साधारण कारावास व 5000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित, धारा 366 भादवि में 07 वर्ष का साधारण कारावास तथा 15000 रुपये के अर्थदण्ड, धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में 04 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर